# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—496/2019/223 (2019/00496)**

1. छोटू पुत्र स्व0 छोगा, जाति रावत, निवासी पुराना बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. राजू पुत्र स्व0 देवीलाल, जाति ढोली,
2. नरेश पुत्र स्व0देवीलाल, जाति ढोली,
3. भागचंद पुत्र स्व0 देवीलाल, जाति ढोली,
4. प्रेम पुत्र स्व0 देवीलाल, जाति ढोली,
   समस्त निवासी पुराना बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।
5. श्रीमती कमला पत्नी रमेश पुत्री स्व0 देवीलाल, जाति ढोली, निवासी जाटिया, तह0 अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5/1— रमेश पुत्र सियाराम, जाति ढोली, नि0 ग्राम जाटिया, तहसील अजमेर ।
   5/2— ममता पत्नी दिनेश पुत्र मोहन पुत्री स्व0 श्रीमती कमला पत्नी रमेश, जाति ढोली, निवासी कोटड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
   5/3— सरिता पत्नी अनिल पुत्र भागचंद पुत्री स्व0 श्रीमती कमला पत्नी रमेश जाति ढोली, निवासी हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
   5/4— ललित उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रमेश, जाति ढोली, निवासी ग्राम जाटिया, तहसील व जिला अजमेर ।
   5/5— संगीता पुत्री रमेश, जाति ढोली, निवासी ग्राम जाटिया, तहसील व जिला अजमेर ।
   5/6— कुणाल पुत्र रमेश नाबालिग जरिये वली पिता रमेश पुत्र सियाराम, जाति ढोली, निवासी ग्राम जाटिया, तहसील व जिला अजमेर ।
6. श्रीमती पुष्पा पत्नी मोहन पुत्री स्व0 देवीलाल, जाति ढोली, निवासी टेम्पों स्टेण्ड के पास, लोहाखान, अजमेर ।
7. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 देवीलाल, जाति ढोली, निवासी पुराना बड़गावं, तहसील व जिला अजमेर ।
8. श्रीमती शारदा पत्नी भवानीशंकर पुत्रवधु स्व0 देवीलाल, जाति ढोली, नि0 तिलोरा, तहसील पुष्कर हाल निवासी मुलाजिम कार्यरत सी0पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय कलेक्ट्रेट के सामने, अजमेर ।
9. सागर पुत्र भवानीशंकर पौत्र स्व0 देवीलाल, जाति ढोली, निवासी तिलोरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
10. उप पंजीयक प्रथम, पंजीयन, विभाग, जयपुर रोड़, अजमेर ।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

12. श्रीमती छोटी पत्नी स्व0 मंगला पुत्रवधु छोगा,
13. भंवरसिंह पुत्र स्व0 मंगला पौत्र छोगा,
14. शैतान पुत्र स्व0 मंगला पौत्र छोगा,
15. गोपी पुत्र स्व0 मंगला पौत्र छोगा,
16. नानू पुत्र स्व0 मंगला पौत्र छोगा,
17. गुलाब पुत्र स्व0 मंगला पौत्र छोगा,
18. ज्ञानी पुत्र स्व0 मंगला पौत्र छोगा,
19. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 मंगला पौत्री छोगा,

20. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 मंगला पौत्री छोगा,
21. शंकर पुत्र लादू पौत्र छोगा,
22. श्रीमती सुवा पुत्री लादू पौत्री छोगा,
23. भारमल पुत्र लादू पोत्र छोगा,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम पुराना बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर।
24. ताराचंद पुत्र लादू पौत्र छोगा (मृतक) जरिये वारिसानः—
    24/1— श्रीमती नौसर पत्नी स्व0 ताराचंद,
    24/2— पुष्पा कुमारी पुत्री स्व0 ताराचंद,
    24/3— लक्ष्मण पुत्र स्व0 ताराचंद नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती नौसर पत्नी ताराचंद,
    24/4— मोहित पुत्र स्व0 ताराचंद नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती नौसर पत्नी स्व0 ताराचंद,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम पुरान बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।
25. झमला पुत्री लादू पौत्री छोगा,
26. मोहन पुत्र भोमा,
27. प्रेमसिंह पुत्र चौथमल पौत्र भोमा,
28. श्रीमती नानी बाई पुत्री चौथमल पौत्री भोमा,
29. चतरसिंह पुत्र चौथमल पौत्र भोमा,
30. मदनसिंह पुत्र रामा पौत्र भोमा,
31. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री रामा पौत्री भोमा,
32. श्रीमती रूपी देवी पुत्री रामा पौत्री भोमा,
33. श्रीमती विमला पुत्री रामा पौत्री भोमा,
34. श्रीमती कमला पत्नी स्व0 रतनसिंह पुत्रवधु रामा,
35. काना पुत्र स्व0 रतनसिंह पौत्र रामा,
36. पूजा पुत्री स्व0 रतनसिंह पौत्री रामा पड़पौत्री भोमा,
37. मैना पुत्री रतनसिंह,
38. लवकुश पुत्र रतनसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम पुराना बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर।

**प्रफोर्मा रेस्पाडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 16.12.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 88/2014.**

**उपस्थितः—**

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री मनीष रावत, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 5/2 से 5/6, 6 से 9.
3. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 5/2 से 5/6
4. रेस्पो0 संख्या 5/1, 12 से 38 अनुपस्थित ।

## निर्णय

**दिनांकः— 8.12.2020**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1

लगायत 9 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 16.12.2019 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नंबर 321/1027 रकबा 2–19–10 वर्किंग खसरा नंबर 345 के वर्तमान खसरा नंबर 550 रकबा 0.24 है0 बारानी–3 भूमि एवं वर्तमान खसरा नंबर 559/1034 रकबा 0.24 है0 चाही–3 ग्राम बड़गांव तहसील व जिला अजमेर में स्थित है । चौसाला खसरा नंबर 321/1027 चौसाला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के खाता संख्या 2 की खतौनी संख्या 3 के अनुसार खातेदार छोगा वल्द खूमा व भोमा वल्द सींगा बहिस्सा बराबर एक हिस्सा, हमीरा पुत्र रूपा एक हिस्सा, हजारी पुत्र जाला एक हिस्सा साकिन देह दर्ज है । इनमें से हमीरा पुत्र रूपा के एक हिस्से की भूमि को हमीरा के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.6.1960 को छोगा पुत्र खूमा एवं भोमा पुत्र सींगा को अपील में वर्णित भूमियों के साथ अन्य भूमियां बेचान कर दी गई एवं कब्जा संभला दिया गया । पंजीबद्ध बेनामा की पालना में नामांतकरण भोमा पुत्र सींगा व छोगा वल्द खूमा के नाम स्वीकृत किया जाकर चौसाला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में खातेदार इंद्राज कर दिया गया तबा हजारी पुत्र जाला जो अविवाहित फौत हो चुका था । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार खातेदार भोमा पुत्र सींगा व मंगला पुत्र लादू बालिग छोटू नाबालिग पुत्रगण छोगा बहिस्सा बराबर दो हिस्सा, हजारी पुत्र जाला एक हिस्सा दर्ज है जबकि हजारी पुत्र जाला अविवाहित फौत हो चुका था कि जिसके वारिस अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 12 से 38 है । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि में वादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 12 से 38 का 1/2 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा के खातेदार दर्ज है एवं काबिज है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें श्रीमती कमला पत्नी रमेश देवीलाल को भी पक्षकार बनाया गया कारण कि प्रतिवादी श्रीमती कमला जो कि ग्राम जाटिया में निवास करती थी जिसके स्वर्गवास की कोई जानकारी नही थी तथा वर्तमान जमाबंदी में देवीलाल वल्द अन्ना दर्ज है, विरासत नहीं हुई है । वादी रावत जाति का सदस्य है एवं पुराना बड़गांव में निवास करता है जिसे प्रतिवादिया श्रीमती कमला के स्वर्गवास की जानकारी नहीं थी इस कारण वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादपत्र में प्रतिवादिया संख्या 5 श्रीमती कमला का वाद पेश करने से पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका था इस कारण वादी का वाद निरस्त किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती कमला का नाम तर्क किये जाने तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार यदि भूलवश वादपत्र में मृतक को पक्षकार बना दिया गया हो तो उसके स्थान पर उसके वारिसान को पक्षकार

बनाया जा सकता है । इस संबंध में वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2017 पेज 947 एवं आर0बी0जे0 2017 (24) पेज 321 भी पेश किये गये किन्तु अधी0न्याया0 उक्त न्यायिक दृष्टांतों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि से देवीलाल पुत्र अन्ना, जाति ढोली का कोई हक अधिकार सरोकार नहीं है न ही कब्जा काश्त रहा है परन्तु भू–प्रबंध विभाग के द्वारा संवत् 2022 से 2025 की चौसाला जमाबंदी के इंद्राज को नजरअंदाज कर बिना किसी आधार एवं अधिकार के वर्तमान जमाबंदी में देवीलाल पुत्र अन्ना के नाम गलत इंद्राज कर दिया गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा पारित अन्य याचिका के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार पूर्ववत् चौसाला जमाबंदी के इंद्राज के अनुकूल ही वर्तमान जमाबंदी में वादी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 12 से 38 के ही नाम दर्ज किये जाने चाहिये थे । वादी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 द्वारा विवादित भूमि कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 से 9 को बेचान, हस्तातंरित नहीं की गई है । यह भी कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उनके संज्ञान में आने के उपरांत उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती कमला का नाम वादपत्र में से डिलीट करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 एवं 6 से 9 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि के संबंध में वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 मृतक कमला के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी ने वाद में यह आधार लिया है कि श्रीमती कमला पत्नी रमेश पुत्री देवीलाल जो कि ग्राम जाटिया में निवास करती है जिसके स्वर्गवास की जानकारी नहीं दी तथा देवीलाल वल्द अन्ना की विरासत नहीं हुई जो स्पष्ट करता है कि अपीलांट अपने विद्वेषपूर्ण दुराशय में सफल होने हेतु मनगंढ़त आधार अभिकथित कर विधि द्वारा वर्जित अपील को येन–केन–प्रकारेण स्वीकार करवाना चाहता है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपीलांट को अपने अभिवचनों को स्वंय ठोस दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करना होता है । अपीलांट को यह जानकारी है कि मृतक देवीलाल के निम्न वारिसान है तथा मृतका कमला ग्राम जाटिया में निवास करती है तथा उसे कमला की मृत्यु की जानकारी नही थी किया गया कथन असत्य है । अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में मृतक कमला का नाम तर्क किये जाने एवं उसके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का आधार लिया है जबकि अपीलांट द्वारा राजस्व वाद संस्थित कर अधी0न्याया0 से अनुतोष चाहा है वह अनुतोष हेतु 16 वर्ष पश्चात् राजस्व वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित कर तथा विधि के मान्य सिद्धांतों से परे जाकर अनुतोष चाहा है जिसका वादी अधिकारी नहीं है । अपीलांट द्वारा जो अपील पेश की गई है उसमें बिना किसी आदेश के मृतक कमला के वारिसान को पक्षकार के रूप में संयोजित कर यह अपील पेश की गई है । इस कारण अपीलांट किसी प्रकार का

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष मृतक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने पर उक्त वाद को विड्रो कर नवीन वाद की अनुमति प्राप्त कर सकता था किन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा न कर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिससे वह उक्त वाद को विड्रो करने का अधिकार भी खो चुका है । इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि से देवीलाल पुत्र अन्ना, जाति ढोली का कोई हक अधिकार सरोकार नहीं है न ही कब्जा काश्त रहा है परन्तु भू—प्रबंध विभाग के द्वारा संवत् 2022 से 2025 की चौसाला जमाबंदी के इंद्राज को नजरअंदाज कर बिना किसी आधार एवं अधिकार के वर्तमान जमाबंदी में देवीलाल पुत्र अन्ना के नाम गलत इंद्राज कर दिया गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा पारित अन्य याचिका के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार पूर्ववत् चौसाला जमाबंदी के इंद्राज के अनुकूल ही वर्तमान जमाबंदी में वादी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 12 से 38 के ही नाम दर्ज किये जाने चाहिये थे । वादी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 द्वारा विवादित भूमि कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 से 9 को बेचान, हस्तातंरित नहीं की गई है । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में प्रतिवादिया संख्या 5 श्रीमती कमला का वाद पेश करने से पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका था इस कारण वादी का वाद निरस्त किया जावे । वादी/अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती कमला की मृत्यु की जानकारी होते ही वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती कमला का नाम वादपत्र में से डिलीट करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18.2.2015 पेश कर दिया था साथ ही दिनांक 18.2.2015 को ही आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 श्रीमती कमला के वारिसान को वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु पेश कर दिया था । इस संबंध में आर0बी0जे0 2017 पेज 321 के अनुसार सद्भाविक त्रुटि से यदि मृतक व्यक्ति को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो उस त्रुटि को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 पेश कर दुरूस्त करवाया जा सकता है । इसी प्रकार डी0एन0जे0 2017 सुप्रीमकोर्ट पेज 947 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रतिवादी का वाद पेश करने से पूर्व ही स्वर्गवास हो गया हो और त्रुटिवश पक्षकार बना लिया गया हो तो न्यायालय को इस त्रुटि को दुरूस्त करते हुए आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत मृतक पक्षकार के वारिसान को पक्षकार बनाना चाहिये । हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती कमला का स्वर्गवास वाद पेश करने से पूर्व होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा श्रीमती कमला का नाम डिलीट करने एवं उसके वारिसान को वाद में पक्षकार कायम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश अंतर्गत 1 नियम 10 (2) जा0दी0 दिनांक 18.2.2015 को पेश कर दिया गया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को बिना निर्णित किये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर संपूर्ण वाद को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित

आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती कमला का नाम वाद पत्रावली से तर्क कर उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाकर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 8.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**